खबर (दार) **विकास नारायण राय**

संविधान में दबंग ही नहीं उत्पीड़ित भी!

भारतीय तंत्र में एक अजीब कशमकश देखने को मिल रहा है। जातीय उत्पीड़न के खिलाफ बने एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्यवस्था को उत्पीड़ित समाज के ही जन आन्दोलन ने संविधान बचाने के नाम पर चुनौती दे डाली। यह संभव हुआ क्योंकि भारतीय संविधान में, समानता और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का क्रमश: सामाजिक समता और न्यायिक विवेक से सामंजस्य किया गया है। मौजूदा रस्साकशी में सुप्रीम कोर्ट इस सामंजस्य के एक सिरे पर खडा दिखा और जन आन्दोलन दूसरे पर!

फिलहाल, दो अप्रैल के दलित बंद ने संघ की हिंदुत्व राजनीति पर गहरी चोट की है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दलित समुदाय के इस व्यापक आक्रोश प्रदर्शन से भाजपा का 'समरसता' के एजेंडे में लिपटा संविधान परिवर्तन का आयाम एकबारगी राजनीतिक नेपथ्य में पहुँच गया। इस परिप्रेक्ष्य में, दस अप्रैल के प्रस्तावित संघी बंद के गहरे निहितार्थ हैं। दरअसल, बिना समता (equity) के समानता (equality) थोपने की कवायद, मसलन जातिगत आरक्षण पर प्रश्नचिन्ह, देश को एक असंवैधानिक परिणति की ओर ही ले जाएगी।

यूँ आरएसएस संचालित राज्यों में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में समानता और समता के दलित सामंजस्य को व्यवहार में तो रोज ही तोड़ा जा रहा है। सरसरी नजर से देखने पर भी, उनके समर्थकों के आये दिन के बेलगाम दलित उत्पीडन के प्रसंग, उनके अपने 'हिंदू एकता' नारे का मखौल बनाते हैं। जबकि संघ, न इस नारे के पाखंड को छोड सकता है और भला अपने धुर समर्थकों को तो टोके भी कैसे!

ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग तीन में दर्ज मौलिक अधिकारों के वे रूप हैं, जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा होने के चलते, बदलाव का निशाना नहीं बनाये जा सकते। इनके तहत ही रोजगार और शिक्षा में दलितों के लिए आरक्षण करना संभव होता है। संविधान के भाग सोलह के अनुच्छेद 335 के तहत सरकारी सेवाओं और पदों में दलितों और आदिवासियों के दावे, प्रशासनिक कुशलता के अनुरूप, स्वीकार्य करने होंगे।

यहाँ, मौजूदा बहस के संवैधानिक आयामों के परस्पर पूरक रिश्तों को जानना जरूरी है। मौलिक अधिकारों में, छूआ-छूत परंपरा से लादी जाने वाली हर असमर्थता कानूनन दंडनीय घोषित है (अनुच्छेद 17), और साथ ही मनमानी या अनियंत्रित गिरफ्तारी और कैद से बचाव का समुचित अधिकार भी (अनुच्छेद 22) सभी को हासिल है। इतना ही नहीं, सभी के लिए व्यक्तिगत, धार्मिक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन और शिक्षा के अधिकार की अवधारणायें भी मौलिक अधिकार में शामिल हैं।

उपरोक्त अनुच्छेद 17 के तहत ही एससी एसटी एक्ट (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989) बना है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलित उत्पीड़न के एक मामले में विचाराधीन था। अब इस पर आये वर्तमान फैसले की व्यापक आलोचना बनी है कि एक्ट के कठोर प्रावधानों को हल्का कर दिया गया है। कम से कम मुकदमा दर्ज करने से पूर्व जांच के निर्देश को लेकर तो निश्चित ही दलित आशंका जायज है।

तुरंत मुकदमा दर्ज हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, इस सम्बन्ध में कोताही करने वाले सरकारी कर्मी को भी अभियुक्त बनाने की एक्ट में व्यवस्था रही है। जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क के साथ कि एक्ट का व्यापक दुरुपयोग किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रारंभिक जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज करने का आम निर्देश जारी किया है। यहाँ बिना आकडों के सच-झूठ की भूल-भुलैया में घुसे भी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक वास्तविकता की एकतरफा व्याख्या की है; इस हद तक फैसले की व्यवस्था में समता ही नहीं समानता की भी अनदेखी की गयी है। हालाँकि, एक्ट की धारा 18 में अग्रिम जमानत पर लगी रोक को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक वास्तविकता को स्वीकारा भी है। अग्रिम जमानत किसी आरोपी का हक नहीं होती और सशर्त परिस्थितियों में ही मिलती है। इसी तरह, झूठे मुकदमे वही नहीं होते जिनमें पुलिस अदालत में चार्ज-शीट दाखिल न करे। दरअसल, कितने ही झूठे मुकदमे पुलिस स्वयं गढ़ती है और उनमें चार्ज-शीट भी दाखिल करती है। क्या युवा दलित नेता चंद्रशेखर के विरुद्ध योगी पुलिस ने एकदम झूठी चार्ज-शीट नहीं दे रखी है।

वर्षों पूर्व मैं स्वयं भी गवाह रहा हूँ कि कैसे फरीदाबाद में जाट जाति के एक जुझारू पत्रकार को, ब्राह्मण जाति के पुलिस अधीक्षक ने अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए, अपने मातहत एक दलित जाति के उप पुलिस अधीक्षक की मार्फत एससी एसटी एक्ट में फर्जी केस दर्ज कर हफ्तों जेल में रखा। बाद में अदालत ने केस को चार्ज लगाने योग्य भी नहीं पाया और खारिज कर दिया। क्या कोई गारंटी दे सकता है कि इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज होने वाला एक भी वाकया अग्रिम जमानत लायक नहीं बनेगा।

संविधान की दुहाई देने वालों को याद रखना होगा कि 'सबूत के बाद गिरफ्तारी' ही संविधान सम्मत न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस अधीक्षक की अनुमति को अनिवार्य बनाने से एससी एसटी एक्ट कमजोर नहीं होगा बल्कि इसकी न्यायिक पकड और मजबूत ही होगी। इससे वरिष्ठ अधिकारी को एक्ट के अंतर्गत सबूत जुटाने से लेकर गिरफ्तारी से जुडे हर पक्ष के प्रति सीधा जवाबदेह बनाया जा सकेगा। गिरफ्तारी में देरी के प्रति भी और एक्ट के दुरुपयोग के प्रति भी!

संवैधानिक प्रावधानों में परस्पर सामंजस्य बेशक अन्तरनिहित हो, उससे सामाजिक यथार्थ में दरार की थाह नहीं मिलती। जब मैं यह सब लिख रहा हूँ, गुजरात में एक दलित युवक को गाँव में घोड़े पर चलने के जुर्म में मौत दी जा चुकी है और यूपी के कासगंज में प्रशासन की नींद हराम हुयी पड़ी है कि वहां के निजामपुर गाँव में घोड़े पर सवार होकर शादी के लिए जाने वाले दलित युवक को सुरक्षित रास्ता देना कैसे सुनिश्चित किया जाये। फरीदाबाद के सुनपेड़ गाँव का लोमहर्षक कांड भूला नहीं होगा, जहाँ अक्तूबर 2015 में दलित पिता द्वारा अपने दो बच्चों को जलाकर मारने और पुराने विपक्षियों को इस मामले में झूठा लपेटने का केस सीबीआई इसलिये चार्ज-शीट नहीं कर पायी है क्योंकि वह सत्ता राजनीति को रास नहीं आएगा।

सामाजिक बदलाव के क्रम में हिंसा होना दुर्लभ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक सक्रियता और अंबेडकर के प्रति राजनीतिक वफादारी प्रदर्शन के दौर में, दो अप्रैल के बंद में उत्पीडित की जुम्बिश देखने को मिली थी; क्या दस अप्रैल को दबंग का तांडव देखना होगा?

मोदी जी! बंद कीजिए ये दिखावा, डार्विन और न्यूटन पर शिक्षामंत्री की गलतबयानी पर चुप्पी और विज्ञान पर इतनी चिंता?

कालू राम शर्मा, विज्ञान मामलों के विशेषज्ञ

'साइंस एंड टेक्नॉलाजी रीचिंग द अनरीच्ड थीम' पर आयोजित 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने छात्रों में विज्ञान को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि युवाओं में वैज्ञानिक चिंतन को बढावा देने की जरूरत है। स्कूली बच्चों के लिए विज्ञान के संस्थान व प्रयोगशालाएं खोलने का आह्वान करते हुए महसूसते हैं कि बच्चों के साथ संवाद कायम करने की जरूरत है।

इस कार्यक्रम में देश-विदेश के वैज्ञानिक, विद्वान और कॉरपोरेट अधिकारियों सहित करीब 5,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। खास बात यह है कि 5,000 प्रतिनिधियों में से 2,000 वैज्ञानिक थे।

वैज्ञानिकों से इस अवसर पर वे कहते हैं कि वैज्ञानिक उपलब्धियों को समाज तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि आम लोगों के फायदे के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करें व रिसर्च एंड डिवेलपमेंट (आर एंड डी) को राष्ट्र के विकास के लिए पुन: परिभाषित करें।

उल्लेखनीय है कि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी में होता रहा है। विज्ञान कांग्रेस के इतिहास में यह पहली घटना है जब 3 से 5 जनवरी 2018 के दरमियान इस आयोजन को ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वाइस चांसलर ने कैंसिल कर दिया। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अनुसार तीन दिसंबर 2017 को एमएससी भौतिकी के छात्र मुरली ने कैंपस में खुदकुशी कर ली थी और तभी से यूनिवर्सिटी की ओर से प्रशासन को धमकियां मिल रही थी। यही एक कारण है कि विज्ञान कांग्रेस का यूनिवर्सिटी का फैसला टालना पड़ा।

इसके बाद विज्ञान कांग्रेस का पांच दिवसीय आयोजन 16—20 मार्च तक पूर्वोत्तर में मणिपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने भारत के महान वैज्ञानिकों पद्म विभूषण प्रो. यशपाल, पद्म विभूषण डॉ. यू. आर. राव तथा पद्मश्री डॉ. बलदेव राज को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की, जिनका कुछ ही समय पहले निधन हुआ है। उनके साथ ही प्रधानमंत्री ने महान भौतिकी विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस को भी याद किया, जिनका इसी माह निधन हुआ था।

यह सही है कि हमारे देश में विज्ञान शिक्षण की स्थिति भयावह कही जा सकती है। हालांकि स्थिति वैज्ञानिक शोधों की भी काफी दयनीय है। विश्वविद्यालयों में किए जा रहे वैज्ञानिक शोधों का स्तर काफी दोयम या तीसरे दर्जे का होता है। जहां पीएचडी की डिग्री पाना ही एक मात्र मकसद होता है।

सीएसआइआर व इससे जुड़ी वैज्ञानिक संस्थान जो कि वैज्ञानिक कार्य को बढ़ावा देते हैं, उनके बजट में सरकार ने 50 फीसदी तक कटौती कर दी गई। जानी-मानी पत्रिका नेचर के अनुसार भारत में वैज्ञानिक शोध की स्थिति काफी कमजोर है। दुनियाभर में भारत के शोध पर दस्तावेज तो प्रसारित होते हैं, मगर ये दोयम दर्जे के हैं।

यह भी जगजाहिर है कि हमारे यहां के शोध संस्थान ब्यूरोक्रेसी के शिकार हैं। विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं वे मात्र डिग्री पाना मकसद है जो प्रमोशन और पद

के लिए की जाती है। शोध वेतन बढ़ोतरी का एक प्रमुख आधार बन जाता है।

प्रधानमंत्री ने ये दो अलग-अलग चीजें कहीं, मगर इनका एक दूसरे से काफी गहरा रिश्ता है। देश में वैज्ञानिक शोधों की स्थिति के लिए यह यह सच है कि हमें वैज्ञानिक संस्थानों को दुरस्त करना होगा। साथ ही उन्हें पर्याप्त फंड उपलब्ध कराना होगा। लिहाजा, यह भी विचारणीय है कि आखिर वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जो युवा प्रवेश पाते हैं वे स्कूलों से विज्ञान की बुनियादी समझ किस प्रकार की लेकर जाते हैं।

स्कूली विज्ञान शिक्षा का हाल कुछ इस प्रकार का है कि बच्चे विज्ञान रटने को मजबूर है। स्कूली स्तर पर बच्चों को अधिक से जांच-पड़ताल के पर्याप्त अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए ताकि उनमें खोजी प्रवृति और रचनात्मकता का भाव पनपे।

स्कूली विज्ञान शिक्षा इन दिनों बुनियादी समस्याओं से ग्रसित है। अधिकांश स्कूलों में विज्ञान का शिक्षण करने वाले शिक्षक विज्ञान संकाय के नहीं हैं। ऊपर से स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की तैयारी विज्ञान के मान्य सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। शिक्षा जगत में शिक्षकों की विज्ञान के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप सतत् उन्मुखीकरण को लेकर सोच और मंचों का अभाव है।

भारत में यह तस्वीर आमतौर पर देखी जा सकती है। जहां बच्चों के हाथों में माइक्रोस्कोप होना चाहिए वहां उनके हाथों में जानकारी से लदी हुई बेजान, नीरस सी पाठ्य पुस्तक है। हमारे यहां स्कूली विज्ञान शिक्षा अलग-थलग पड़ी हुई है। इसे विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक संस्थानों के समर्थन की आवश्यकता है।

विज्ञान शिक्षा को एक साधन के रूप में अपनाते हुए समाज में वैज्ञानिक नजरिए को पोषित करने का जो सपना आजाद भारत ने देखा था वह आज भी क्रियान्वयन की बाट जोह रहा है। सोचा यह गया था कि विषमताएं चाहे वह जाति, धर्म और जेंडर की हो या अंधविश्वासों के अंधकार की, इन्हें दूर करने में विज्ञान को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यह पहल कोरी विज्ञान शिक्षा के दस्तावेजों में दबी पड़ी है।

चुनौतियां दो स्तर पर हैं एक यह कि विज्ञान शिक्षा उन प्रथम पीढ़ी के समाज तक पहुंचाने की जरूरत है जो विषमताओं से दबा हुआ है। दूसरी चुनौती यह कि विज्ञान शिक्षण की डिग्री पाने वाले बुरी तरह से अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं।

स्कूली विज्ञान शिक्षा एक ऐसा जरिया हो सकता है जो समाज में वैज्ञानिक नजरिए को फलने-फूलने के अवसर उपलब्ध करा सकता है। स्कूलों के जरिए हमें कल के नागरिकों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो वैज्ञानिक मानसिकता की वाहक होगी। यहीं से तमाम विषमताओं से छुटकारा पाने की एक बेहतर शुरूआत हो सकती है।

105 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री की यह चिंता जायज तो लगती है, मगर उनके ही केंद्रीय मंत्री विज्ञान के विरूद्ध वक्तव्य देने से नहीं थकते। मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल ने हाल ही में जो बयान दिया वह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है।

चूंकि प्रधानमंत्री को विज्ञान और वैज्ञानिक मानसिकता पर सकारात्मक कहना था, इसलिए उन्होंने कहा। एक तरफ अपने ही मंत्रिमंडल के कथित जिम्मेदार मंत्री के बयान पर चुप्पी साधे रहते हैं, वहीं मंच से वे विज्ञान की चिंता जाहिर करते दिखते हैं जो एक दिखावा से अधिक नहीं। हमारे देश में विज्ञान शिक्षण की हालत का जायजा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल के बयान से लगाया जा सकता है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जिसका संविधान वैज्ञानिक नजरिए को पोषित करने की बात करता है मगर तस्वीर का दूसरा पहलू यह कि शिक्षा के जरिए संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने वाले लोग ही वैज्ञानिक मान्यताओं की सरेआम धज्जियां उड़ाते दिखते हैं।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के ठीक सवा महीने पहले कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में डार्विन के सिद्धांत में परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने डार्विन के विकासवाद को गलत ठहराते हुए कहा कि हमारे पूर्वज हमेशा से ही मानव थे। इंसान जब से पृथ्वी पर देखा गया है तब से वह इंसान ही है। अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में उन्होंने कहा इंसान जब से पृथ्वी पर देखा गया है, हमेशा इंसान ही रहा है।

एक और बयान नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य का देखिए जो विज्ञान कांग्रेस के अवसर पर गैर वैज्ञानिक बयान देने से नहीं चूकते। हाल ही में महान वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंग का निधन हुआ। इसी दौरान विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने बिन सिर-पैर का बयान दे डाला। हर्षवर्धन ने दावा किया कि स्टीफन हाकिंग ने कहा था कि वेदों में निहित सूत्र अल्बर्ट आइंस्टीन के E=mcw के सापेक्षता सिद्धांत से भी बेहतर है।

उल्लेखनीय है कि हाकिंग का इसी दौरान देहावसान हुआ था और आम समाज तक के लोग उनके वैज्ञानिक विचारों का बखान करते हुए आंसू बहा रहे थे, वहीं भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री दकियानूसी बात कह रहे थे। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि इस जानकारी का स्रोत क्या है, इसे उन्होंने टालने की कोशिश की।

अगर बागड़ ही खेत को चरने लगे तो फिर क्या बचता है। विज्ञान कांग्रेस का आयोजन चूंकि एक प्रथा बन चुका है, इसलिए उस मंच से प्रधानमंत्री के औपचारिक बयान को हर्षवर्धन का औपचारिक बयान धत्ता बताता है। सच पूछा जाए तो यह उस प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है। इसे एक और कोण से भी देखने की जरूरत है कि सत्ताधारी सरकार वैज्ञानिक सिद्धांतों व सोच को ही नकारने में लगे हुए हैं और देश को अंधविश्वास व दकियानुसी सोच से उबारने के बजाय इस खाई में धक्का देने की कोशिश में लगे हुए हैं जहां से हमें विज्ञान ने उबारने में अहम भूमिका अदा की है।

कौन से हिंदू हैं आप ?

हेमंत मालवीय

आप ,केवल एक डरपोक हैं, जो पानी छानकर पीते हैं, आदमी का खून बिना छना पी जाते हैं। आप वो कौम हैं , जिसे मुसलमान का भय दिखा कर हर चुनाव बाड़े में इकट्ठा कर लिया जाता है । फिर आपकी खाल मूड कर वापस पाँच साल चरने को छोड़ दिया जाता है ।

आपके सामने मुसलमान नही होता तो ईसाई का भय होता, पाकिस्तान ना होता तो इटली का भय होता, मुल्ला मौलाना नही होता तो पोप होता, जैसे आज ओसामा नही तो बगदादी है। आप का भयभीत रहना बहुत जरूरी है ,वरना 20 करोड़ ज्यादा होते हैं या 110 करोड़, तो डरना किसे चाहिए, पर नही डर तो आप रहे हैं ,क्योंकि आपको डराया जा रहा है , 3का पहाड़ा न मोदीजी को पता है न भक्तो को।

असल सवाल है आप हिन्दू हैं तो आपको हिन्दू राष्ट्र चाहिए हिन्दू हित की बात करने वाले नेता भी चाहिए तो बताइए आप कौन से वाले हिन्दू है ? आरक्षण समर्थक है या विरोधी ? अगड़े हैं कि पिछड़े हैं? शूद्र हैं कि क्षत्रिय? ब्राह्मण हैं या वैश्य?, बौद्ध हैं या जैन? जाट हैं या गुर्जर? तेली है या लुहार । मल्लाह है या भिस्ती चमार है या धौबी । कलाल है या लाला । आखिर आप कौन से वाले हिन्दू है ?

आप में से बहुतों को लगता है RSS और मोदीजी बस कल, परसों या कुछ बरसो में आरक्षण को खत्म कर देंगे ।

पर ये न तो भागवत कर सकते हैं न मोदी ,.....दोनों में से कोई बस एक लफ्ज इस बारे में कह भर दे फिर देखे , ... अगले दिन ही दुकान बन्द हो जाएगी !

सुप्रीम कोर्ट के सही निर्णय तक के तो खिलाफ सरकार ही कोर्ट को फिर निर्णय पर विचार करने को कहने लगी, क्यों? कोर्ट ने क्या गलत बात कह दी थी । जो बन्द विरोध हो रहा है । सरकार की मंशा क्या है समझ आएगी भी नही क्योकि भाजपा भी उतनी ही गिरी हुए राजनीति करने को बनी है जितनी गन्दी जात पात की राजनीति कांग्रेस ने की । कारण? क्योकि वे जानते हैं ... अद्भुत सहनशीलता और भयावह तटस्थता है इस धर्म के नाम बटे देश के आदमी में। कोई उसे पीटकर पैसे छीन ले तो वह दान का मंत्र पढ़ने लगता है , यहा कोड़े मारने वाला शासक बहुत आला और अच्छा माना जाता है। जैसे कई आज मोदी से खुश हैं ,कल कभी संजय गांधी से भी थे।

सनातन काल से बाटने की नीति को राजनीति चाणक्य नीति और जातिगत भेदभाव को मनुनीति समझाया गया है, सनातन काल से लोगो का शोषण किया गया है और उसे ही जरूरी व्यवस्था बताया गया है , आजादी बाद शोषित का हक आरक्षण के नाम ,बदला लेने को उन सदियों के शोषण का हिसाब, अब कल तक के शोषण कर्ताओ के बच्चो का शोषण आज करवा कर चुकता किया जा रहा है ,चंद लोगों ने भगवान के नाम शैतानियत के काम किये हैं, पर शासन व्यवस्था के नाम और भी ज्यादा किये हैं । लोग नोटबन्दी पे लाइनों में चुपचाप इसलिए आ गये, कि क्योकि ये गलत काम जनता को सामुहिक रूप से बरगला कर और भी आसानी से देश भक्ति के नाम किया गया , जो विरोध करे वो देश विरोधी ,एक पिकचर रिलीज हो जाये तो समाज विरोधी, जिसका वही लोग पत्थर मारते हैं और विरोध करते हैं और अगले दिन वही लोग उसी फिल्म की फ़र्स्ट डे फ़स्ट शो की टिकट की लाइनों में खड़े मिलते हैं ।

और इसी दोगलेपन ने हमे बिना रीढ का सुरजमुखी का फूल बना दिया है जो केवल उगते सूरज को सलामी देने को खिला करते हैं ।